	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-3-22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी क्र.-10 व 11 का रजिस्टर्ड तलबी मय रसीद पेश रहे ये अनुपस्थित रहते हैं उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई वास्ते ~~[illegible]~~ बहस पत्रावली 27-4-22 को पेश हो।	

निर्णय

27-4-22	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 212 आरटी एक्ट पर बहस एक पक्षीय सुनी गई प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाकर निर्णय संक्षेप इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि कुल खसरा किता-19 कुल रकबा 4.24 हैक्टर कृषि भूमि सहखातेदारी में ग्राम काकराडूंगर तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित है. प्रार्थीया के पिता की मृत्यु प्रार्थीया के दादाजी से पूर्व ही हो गई थी प्रार्थीया का लालन पालन प्रार्थीया के दादा लोडभ्या द्वारा ही किया गया था दादाजी की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी क्र. 1 लगायत 3 राजस्व अधिकारियों को गलत तथ्य बताकर फौती इन्तकाल में दादाजी लोडभ्याजी के स्थान पर अपना नाम तस्दीक करा लिया गया जबकि प्रार्थीया लोडभ्याजी के पुत्र हजारीलाल की पुत्री है. विवादित आराजी में प्रार्थीया हिस्सा 4/12 निहित था अप्रार्थीगण प्रार्थीया को उसका हिस्सा 4/12 देने बाबत झूठा आश्वासन देते रहे अन्त में हिस्सा देने से इन्कार कर दिया गया तथा अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर विवादित आराजी को बेचने विक्रय करने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	देते है यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी को रहन, बय दान कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपूर्ण क्षति कारित होगी जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है. प्रार्थीया के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दौराने वाद यदि विवादित आराजी का रहन बय कर दिया गया तो वाद बाहुलता बढेगी। अतः दौराने वाद उभयपक्ष को पाबन्द किया जाना उचित समझते है. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता कि विवादित आराजी ख. नं. 187, 188, 189, 190, 191, 192 194, 195, 196, 201, 202, 203, 205, 206, 247, 248, 428, 84 कुल 19 योग रकबा 4.24 हैक्टर वाके ग्राम कासया डूगर तहसील इन्द्रगढ के राजस्व ~~किस~~ रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी की तार फैसला वाद यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली कैसल शुमार होकर सलग्न मूल वाद रहे। ह०/- उपखण्ड अधिकारी नाहंरी (बून्दी)